

अनुदान संख्या 50 - मंत्रिमंडल
GRANT No. 50 - CABINET

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-	1152,68,00	646,16,80	-506,51,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			486,85,00
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	96,23,00		
			5007,67,00	4983,94,45
पूरक	Supplementary	4911,44,00		-23,72,55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			22,77,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2013"	Major Head "2013"			
मंत्रिपरिषद	Council of Ministers			
मू.	O.	114688.00		
			66058.00	64094.44
पु.	R.	-48630.00		-1963.56

(I) "कैबिनेट सचिवालय" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(I) Under "Cabinet Secretariat" - savings occurred under the following heads:-

(का) "राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय" - ₹6749.26 लाख की बचत (₹18492.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की

(A) "National Security Council Secretariat" - saving of ₹6749.26 lakhs (against the sanctioned

तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कम बैठक/सम्मेलन आयोजित करने, केंद्रीय विस्टा परियोजनाओं में कार्यालय परिसर के प्रत्याशित स्थानांतरण की वजह से कम प्रस्तावों की प्राप्ति, आईआईटी हैदराबाद और सी-डैक में एक केंद्र की स्थापना किए जाने की प्रक्रिया में देरी होने के कारण हुई।

(खा) “प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय” – ₹1105.08 लाख की बचत (₹7196.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कम दौरे करने, कम पेशेवरों की भर्ती करने और अनुदान प्राप्तकर्ता/संस्था निकायों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(II) “यात्रा व्यय” के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “राज्य मंत्री” – ₹857.94 लाख की बचत (₹2100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दौरे करने के कारण हुई।

(खा) “विशेष अतिरिक्त सत्र उड़ान परिचालन” – ₹42162.06 लाख की बचत (₹67576.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पीसीडीए (एएफ), आरपीएफ द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचत “यात्रा व्यय – कैबिनेट मंत्री” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई- ₹1450.52 लाख का अधिक व्यय (₹3060.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रियों के घरेलू यात्रा व्यय के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

provision of ₹18492.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, conduction of less meeting/conferences, receipt of less proposals owing to anticipated shifting of office premises to the Central Vista projects, delay in process setting up of a Centre at IIT Hyderabad and C-DAC.

(B) “Office of the Principal Scientific Advisor” - saving of ₹1105.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7196.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, hiring of less professionals and receipt of less proposals from Grantee/Institution Bodies and non-utilization of funds by CPWD.

(II) Under “Tour Expenses” - savings occurred under the following heads:-

(A) “State Ministers” - saving of ₹857.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2100.00 lakhs) was due to less tours undertaken.

(B) “Special Extra Session Flight Operations” - saving of ₹42162.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹67576.00 lakhs) was due to requirement of less funds by PCDA (AF), RPF and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2. The above savings were partly offset by excess under “Tour Expenses - Cabinet Ministers” - excess of ₹1450.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3060.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards domestic travel expenses of ministers.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
------------------------------	--	--

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4070"	Major Head "4070"			
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Administrative Services			
मू.	O.	7600.00		
पू.	S.	12400.00	17848.00	17830.28
पु.	R.	-2152.00		-17.72

(I) "निदेशन और प्रशासन - विशेष अतिरिक्त सत्र उड़ान संचालन" के अंतर्गत ₹7600.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹12400.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹20000.00 लाख तक बढ़ाया गया, तथापि, जो वायु सेना मुख्यालय द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने और विशेष अतिरिक्त सत्र उड़ान संचालन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण ₹2169.72 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(I) Under "Direction and Administration - Special Extra Session Flight Operations" - the original provision of ₹7600.00 lakhs was augmented to ₹20000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹12400.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹2169.72 lakhs - due to non-utilization of funds by Air Headquarter and requirement of less funds towards Special Extra Session Flight Operations.